

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)**

एफ 27(59)/ग्राविवि/ग्रुप-5/GOI/Awaassoft/2015-16 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**  
**जिला परिषद,(ग्रा.वि.प्र)**  
**समस्त, राजस्थान।**

**विषय :-** आवाससॉफ्ट के सम्बंध में सामान्य जानकारी।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी ई-शासन मॉडल से की जा रही है। योजना में ई-शासन आधारित सेवा प्रदायगी की दो प्रणालिया, आवाससॉफ्ट एवं जी मोबाईल अनुप्रयोग - आवासएप काम में ली जा रही है।

आवाससॉफ्ट के उपयोग के सम्बंध में सामान्य जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1 SECC-2011 से लाभार्थियों का निर्धारण, लक्ष्यों का निर्धारण, निधियों की रिलीज, लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश एवं राशि रिलिज एवं आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी मुख्य रूप से आवाससॉफ्ट के माध्यम से की जा रही है। लाभार्थियों की प्रतिक्षा सूची को अंतिम रूप जिला स्तर से दिये जाने के उपरान्त आवाससॉफ्ट के माध्यम से डाईग्राम-1 (टान्जेक्ट्र वर्क फ्लो) संलग्न है।
- 2 राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर उपयोग हेतु पृथक-पृथक मॉड्यूल है, जिस हेतु अलग-अलग पासवर्ड उपलब्ध कराये गये है। महत्वपूर्ण मॉड्यूल निम्नानुसार है:-

- 1 वर्ष के लक्ष्यों का निर्धारण- राज्य/जिला (आनलाईन) और ब्लॉक स्तर (ऑफलाईन) द्वारा अपने से निचले स्तर के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण किये जाते है।
- लाभार्थियों को चयन- SECC-2011 के डाटा बेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध कराने, लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने SECC-2011 डाटा बेस में पंचायतों/गांवों और लाभार्थियों की खोज करने, ग्राम सभा संकल्प अपलोड करने, वरीयता सूची तैयार करने, सत्यापन पर पूर्णविचार हेतु उपयोगी होगा।

जिलों द्वारा आवाससॉफ्ट पर 1681180 लाभार्थियों की वरीयता सूची निर्धारित की गई है एवं जिला अपीलैट कमेटी द्वारा 1677352 का ही सत्यापन किया गया है शेष का सत्यापन करवाया जावे।

- लाभार्थी प्रबंधन- लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों के फोटोग्राफ (आवास सहित) अपलोड करने, व्यक्तिगत बैंक खातों की संख्या दर्ज करने और आधार संख्या, मनरेगा जॉब कार्ड संख्या आदि दर्ज करने हेतु।
- लाभार्थियों का पंजीकरण ब्लॉक आईडी द्वारा किया जाना है। जिसके दौरान इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में दर्ज जानकारी यथा लाभार्थियों के फोटोग्राफ (आवास सहित) अपलोड करने, व्यक्तिगत बैंक खातों की संख्या दर्ज करने और आधार संख्या, मनरेगा जॉब कार्ड संख्या आदि दर्ज की जानी है। ध्यान में रहे कि लाभार्थी का बचत खाता सामान्य खातें प्रवृत्ति का हो (TINY बैंक खाता न हो) मनरेगा जॉब कार्ड संख्या लाभार्थी की ही दर्ज की जावे। पीएफएमएस से सत्यापन रिजेक्ट होने पर दर्ज जानकारी को दूरस्त कर पुनः खाता फिज किया जावे। फिज खातें को डिफिज करने हेतु लाभार्थी का पंजीयन नम्बर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिले का नाम ई-मेल द्वारा भिजवाये। उक्त विवरण भिजवाने से पूर्व होम पेज पर प्रदर्शित स्टेक होल्डर ऑपशन से जांच ले की उक्त लाभार्थी की ऑर्डरशिट नहीं बनी हो तथा लाभार्थी का खाता पीएफएमएस के यहा लम्बित न हो अर्थात या तो सत्यापित हो या रिजेक्ट हो, तब ही ई-मेल pdengg\_rdd@yahoo.com पर भिजवाए।



- लाभार्थी का पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान होने के पश्चात् निम्न में से किसी कारण से खाता बदलने की आवश्यकता हो, तो आवाससॉफ्ट पर ब्लॉक आईडी के द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के लॉगिन से अनुरोध दर्ज किया जावे अथवा आवास योजनाओं में पंजीकरण/स्वीकृति/किश्त हस्तान्तरण के पश्चात् लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के वारिस/परिवार के सदस्य के नाम स्वीकृति बदलने तथा वारिस/परिवार के सदस्य के खाता संख्या इन्द्राज करने हेतु आवाससॉफ्ट पर जिला आईडी के लॉगिन से अनुरोध दर्ज किया जावे, आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जावे, यथा संलग्न प्रारूप-अ अथवा ब, मृत्यु प्रमाण पत्र, नये बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी। खाता बदलने के कारण निम्नानुसार हो सकते हैं:-

1. Format of Account number changed
2. Loan Account
3. Bank Account closed
4. IFSC changed
5. Payment made into wrong account
6. Bank changed the Account number of beneficiary
7. Jan-dhan bank Account limit exceeded

नोट :- प्रारूप - अ का उपयोग आवास योजनाओं में ऑन-लाईन किश्त दिए जाने के पश्चात् खाता संख्या बदलने हेतु किया जाना है।

प्रारूप - ब का उपयोग आवास योजनाओं में पंजीकरण/स्वीकृति/किश्त हस्तान्तरण के पश्चात् लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के वारिस/परिवार के सदस्य के नाम स्वीकृति बदलने तथा वारिस/परिवार के सदस्य के खाता संख्या इन्द्राज करने हेतु किया जाना है।

नोट :- वर्तमान में स्वीकृति उपरान्त मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर परिवर्तन का प्रावधान नहीं है तथा जिओ टैगिंग में प्रथम किश्त हस्तान्तरण से पूर्व एक बार ब्लॉक स्तर पर डाटा ऐन्ट्री लॉगिन पर परिवर्तन का प्रावधान उपलब्ध है अर्थात् प्रथम किश्त हस्तान्तरण उपरान्त जिओ टैगिंग परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।

- निधि प्रबंधन- वर्तमान में निधि रिलिज हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु अधिकृत प्रथम व द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत है। अतः इन्हीं के हस्ताक्षरों का पंजीकरण कर डीएसी को सक्रिय करने हेतु अनुरोध दर्ज किया जावे। ब्लॉक/जिला स्तर से किसी डीएसी को निष्क्रिय करने हेतु अनुशंसा लिखित में राज्य को प्रेषित की जावे।
- स्वीकृति प्रबंधन - आवासों की मंजूरी से सम्बंधित ब्यौरा दर्ज करना, स्वीकृति का सम्पादन करने का प्रावधान ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। स्वीकृति की मंजूरी को खत्म करने का प्रावधान जिला स्तर पर उपलब्ध है।
- निर्माण कार्य की प्रगति- ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर आवासों के नियमित निरीक्षण हेतु उपयोग होगा। आवासों के निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों के फोटो लिये जाते हैं और उन ब्यौरा का सत्यापन किया जाता है यथा उन्हें "आवास ऐप" की सहायता से आवाससॉफ्ट में अपलोड किया जाता है। इनमें अधिकारियों और निगरानीकर्ताओं के लिये आवासों के सत्यापन पर टिप्पण करने का भी प्रावधान है।

नोट :- समय-समय पर आवासऐप के नए वर्जन Googleplay Store पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें डाउनलोड करके ही फिल्ट्र विजिट किया जावे।

जिलों/ब्लॉक से आवाससॉफ्ट के सम्बंध में प्राप्त समस्याओं के निराकरण हेतु सम्भावित प्रक्रिया निम्नानुसार है:-


क्र.स	समस्या	समाधान
1	स्वीकृति उपरान्त महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कार्य कोड प्रदर्शित नहीं होना।	PMAYG Helpline No. 1800-11-6446 , Mail us at support-pmayg@gov.in तथा nicdrrd@nic.in
2	बैंक शाखा जोड़ने हेतु	pdengg_rdd@yahoo.com पर मेल करें।
3	डीएससी को निष्क्रिय करना	जिला/ब्लॉक स्तर से हस्ताक्षरित मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर करें।

4	डीएससी हस्ताक्षरकर्ता का पासवर्ड नहीं लगना	डीएससी निष्क्रिय किये जाने के उपरान्त ब्लॉक स्तर के डाटा ऐन्ट्री लॉगिन से सेट सिगनेचरी ऑप्शन से पुनः हस्ताक्षरकर्ता का रजिस्ट्रेशन करने पर नए पासवर्ड प्राप्त होंगे, महात्मा गांधी नरेगा की भांति पुराने पासवर्ड कार्य नहीं करेंगे।
5	डीएससी को सक्रिय करना	डीएससी को एनरोल करने से पूर्व जावा डाउनलोड किया जावे तथा बनवाए गए डीएससी के विवरण के OU पार्ट में पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास लिखा प्रदर्शित हो, को जाँच लिया जावे अन्यथा वेबसाइट पर डीएससी ऐरर प्रदर्शित करेगा। महात्मा गांधी नरेगा से मिलान कर राज्य स्तर से सक्रिय कर दिया जावेगा। एक दिवस में सक्रिय नहीं होने पर <a href="mailto:pdengg_rdd@yahoo.com">pdengg_rdd@yahoo.com</a> पर मेल करें।
6	पंजीयन के समय बैंक ब्रान्च नहीं मिलना	पंजीयन के समय बैंक ब्रान्च नहीं मिलने पर, ग्रामीण बैंक हेतु आईएफएससी कोड एवं बैंक ब्रान्च कोड एवं अन्य बैंकों हेतु आईएसएससी कोड भेजा जा सकता है।
7	बैंक खातों में परिवर्तन	उपरोक्त लाभार्थी प्रबन्धन में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग करें। प्रपत्र-अ अथवा ब अवश्य भरे।
8	मनरेगा जॉब कार्ड परिवर्तन	स्वीकृति उपरान्त वर्तमान में प्रावधान उपलब्ध नहीं।
9	स्वीकृति उपरान्त जीओं टैगिंग में परिवर्तन	वर्तमान में जिओं टैगिंग में प्रथम किशत हस्तान्तरण से पूर्व एक बार ब्लॉक स्तर पर डाटा ऐन्ट्री लॉगिन पर परिवर्तन का प्रावधान उपलब्ध है अर्थात् प्रथम किशत हस्तान्तरण उपरान्त जिओ टैगिंग परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।
10	लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण में किशत हस्तान्तरण प्रदर्शित परन्तु वास्तव में लाभार्थी के खातों में किशत प्राप्त नहीं	लाभार्थी के बैंक खाता पासबुक की आदिनांक प्रविष्टि सहित फोटोप्रति से साथ वीडियों डिएसी लॉगिन से FALSE SUCCSS प्रकरण में दर्ज करें एवं स्टेट नोडल बैंक अधिकारी श्री नितेश सिंघल को भी की <a href="mailto:pdengg_rdd@yahoo.com">pdengg_rdd@yahoo.com</a> के साथ <a href="mailto:nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in">nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in</a> पर मेल करें। प्रपत्र संलग्न है।
11	लाभार्थी के व्यक्तिगत विवरण में किशत हस्तान्तरण प्रदर्शित नहीं परन्तु वास्तव में लाभार्थी के खातों में किशत प्राप्त	लाभार्थी के बैंक खाता पासबुक की आदिनांक प्रविष्टि सहित फोटोप्रति से साथ वीडियों डिएसी लॉगिन से FALSE Reject प्रकरण में दर्ज करें एवं स्टेट नोडल बैंक अधिकारी श्री नितेश सिंघल को भी की <a href="mailto:pdengg_rdd@yahoo.com">pdengg_rdd@yahoo.com</a> के साथ <a href="mailto:nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in">nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in</a> पर मेल करें। प्रपत्र संलग्न है।
12	ब्लॉक द्वारा एफटीओ सत्यापन उपरान्त किशत हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी।	होम पेज पर उपलब्ध FTO Traking ऑप्शन में एफटीओ का पूरा क्रमांक लिखकर Track करें। एफटीओ सत्यापन करने के लगभग 7 कार्यदिवस में एफटीओ क्लियर हो जाता है। कई बार तकनीकी समस्या के कारण एफटीओ क्लियर नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी की बैंक पासबुक की जाँच कर स्टेट नोडल बैंक अधिकारी श्री नितेश सिंघल को भी की <a href="mailto:pdengg_rdd@yahoo.com">pdengg_rdd@yahoo.com</a> के साथ <a href="mailto:nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in">nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in</a> पर मेल करें।
13	आवासएप से सम्बन्धित प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही	समय-समय पर आवासएप के नए वर्जन Googleplay Store पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें डाउनलोड करके ही फिल्ट्र विजिट किया जावे। इसके अतिरिक्त आने वाली समस्याओं के लिए PMAYG Helpline No. 1800-11-6446, Mail us at <a href="mailto:support-pmayg@gov.in">support-pmayg@gov.in</a> पर मय स्क्रीन शॉट मेल करें एवं <a href="mailto:pdengg_rdd@yahoo.com">pdengg_rdd@yahoo.com</a> पर भी फारवर्ड करे।

14	आवाससॉफ्ट से सम्बन्धित समस्याओं के कम में पत्राचार/ई-मेल	<p>For Technical support contact us at PMAYG Helpline No. <b>1800-11-6446</b> Mail us at support-pmayg@gov.in</p> <p>For Technical support Regarding PFMS Helpline No. <b>1800-11-8111</b> Mail us at helpdesk-pfms@gov.in</p> <p>State E-Mail :- pdengg_rdd@yahoo.com, nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in</p> <p>आवाससॉफ्ट से सम्बन्धित पत्राचार में लाभार्थी का विवरण अनिवार्य रूप से सॉफ्ट कॉपी (Excel या Word) में भेजे।</p>
15	अन्य	<p>आवाससॉफ्ट से सम्बन्धित अन्य सभी प्रकरण जो नियमित रूप से सम्पादित हो रहे हो परन्तु कार्य के दौरान कोई विशेष प्रकरण में समस्या आ रही हो तो कृपया समाधान हेतु PMAYG Helpline No. 1800-11-6446 , Mail us at support-pmayg@gov.in पर मेल करें एवं pdengg_rdd@yahoo.com पर भी फारवर्ड करें। इसमें निम्न विवरण अनिवार्य रूप से ई-मेल करें :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 लाभार्थी का पूर्ण पंजीयन क्रमांक</li> <li>2 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिले का नाम</li> <li>3 समस्या का पूर्ण विवरण मय स्क्रीन शॉट</li> </ol>

कृपया उक्त जानकारीयों को आवाससॉफ्ट/पीएमएवाई-जी का कार्य देख रहे अधिकारी /कार्मिकों के साथ अधिक से अधिक साझा करें।

भवदीय,

  
(के.के.शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
5. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।



  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Diagram 1



कार्यालय पंचायत समिति .....जिला .....

आवास योजनाओ में ऑनलाइन किश्त दिए जाने के पश्चात् खाता संख्या बदलने हेतु  
प्रमाण-पत्र

PMAY-G / IAY Reg No. : RJ.....

श्री / श्रीमति / सुश्री..... (पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री .....

निवासी ग्राम ....., ग्राम पंचायत ....., पंचायत समिति .....

जिला ..... को योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत है।

वर्तमान में लाभार्थी का खाता संख्या ....., बैंक ब्रांच .....,  
बैंक (नाम).....आवाससॉफ्ट पर सत्यापित है, लाभार्थी का खाता संख्या निम्न चिह्नकित  
कारणवश बदलने की अनुशंसा की जाती है, लाभार्थी का नया अनुशंसित खाता संख्या .....,  
बैंक ब्रांच ....., बैंक (नाम).....को बदलने का अनुरोध  
द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के लॉगिन से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके साथ यह प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थी  
के नये बैंक खाते की पासबुक की स्पष्ट प्रति संलग्न की जा रही है।

कारण चिन्हित करें : -

क्रम संख्या	कारण	चिह्नकन
1.	Format of Bank Account number changed	
2.	Loan Account	
3.	Bank Account Closed	
4.	IFSC Changed	
5.*	Payment Made into wrong account *	
6.	Bank changed the account number of beneficiary	
7.	Jan Dhan Bank account limit exceeded	

विकास अधिकारी

पंचायत समिति.....

\* कारण संख्या 5 होने की स्थिति में यह भी भरें।

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी को पूर्व में दी गई किश्त रु....., जो गलत  
खाते में हस्तांतरित हो गई थी, को लाभार्थी को हस्तान्तरित कर दी गई है / लाभार्थी द्वारा उपभोग कर  
ली गई है।

विकास अधिकारी

पंचायत समिति.....

## कार्यालय जिला परिषद् .....

### आवास योजनाओ में लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्य (वारिस) लाभार्थी के नाम स्वीकृति बदलने तथा खाता संख्या इन्द्राज हेतु प्रमाण-पत्र

PMAY-G / IAY Reg No. : RJ.....

श्री / श्रीमति / सुश्री..... (पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री .....

निवासी ग्राम ....., ग्राम पंचायत ....., पंचायत समिति .....

जिला ..... को योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत है। लाभार्थी की मृत्यु दिनांक.....

को हुई है। लाभार्थी के परिवार के सदस्य (वारिस) श्री / श्रीमति / सुश्री.....

(पुत्र / पुत्री / पत्नी) श्री ..... निवासी ग्राम ....., ग्राम

पंचायत ....., पंचायत समिति ....., जिला ..... के नाम

आवास स्वीकृति संशोधित की जानी प्रस्तावित है। वर्तमान में लाभार्थी का खाता संख्या.....

, बैंक ब्रांच ....., बैंक (नाम)..... आवाससॉफ्ट पर सत्यापित है,

**लाभार्थी की स्वीकृति तथा खाता संख्या बदलने की अनुशंसा की जाती है**, संशोधित लाभार्थी का खाता

संख्या ....., बैंक ब्रांच ....., बैंक (नाम).....

को बदलने का अनुरोध **जिला स्तर के लॉगिन से** ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके साथ यह

**प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र संख्या..... की स्पष्ट प्रति तथा नये लाभार्थी के बैंक खाते**

**की पासबुक की स्पष्ट प्रति संलग्न की जा रही है।**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद् .....

Bank Format

False Success / Reject Case

URGENT

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(59)ग्रावि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/ /2017-18 जयपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त, राजस्थान।

विषय :- पीएफएमएस के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर भुगतान दर्ज, परन्तु वास्तव में भुगतान नहीं हुए प्रकरणों की सूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2015-16 से पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान किये जा रहे हैं। विभिन्न जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियों को आवाससॉफ्ट पर एफटीओ के माध्यम से भुगतान प्रदर्शित हो रहे हैं, जबकि वास्तव में लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिला है। उक्त सभी प्रकरणों को False Success केस में दर्ज किये जाने का प्रावधान, विकास अधिकारी 2nd DSC लॉगिन पर उपलब्ध है।

दिनांक 13.07.2017 को आयोजित बैठक, बाबत पीएफएमएस प्रक्रिया MoRD नई दिल्ली में हुए विचार-विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी प्रकरणों को राज्य स्तरीय नोडल बैंक दिनांक 31.07.2017 तक पीएफएमएस के माध्यम से समाधान किया जाये।

अतः इस क्रम में वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक पीएफएमएस के माध्यम से किये गये भुगतान जो कि लाभार्थियों को वास्तव में नहीं प्राप्त हुए हैं, एवं भुगतान आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित हो रहा है, कि सूचना निम्न प्रारूप में 7 दिवस में ई-मेल pdengg\_rdd@yahoo.com, it.rz@bankofbaroda.co.in, nitesh.singhal@bankofbaroda.co.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

क.स.	FTO नम्बर	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी की PMAY-G की पंजीकरण आईडी	राशि (रुपये में)	बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड

इसके अतिरिक्त इस विषय में अन्य कोई जानकारी चाहने हेतु राज्य स्तरीय नोडल बैंक प्रभारी श्री नितेश सिंघल (दूरभाष नम्बर 8094001237) पर सम्पर्क करें।

(के.के.शर्मा)  
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
- 3 मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उद्योग भवन शाखा, जयपुर।
- 4 आरबीडीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
- 5 श्री नितेश सिंघल, बैंक ऑफ बड़ौदा, उद्योग भवन शाखा, जयपुर।
- 6 श्री पीयूष शर्मा / श्रीमती कविता वर्मा, एमआईएस मैनेजर, मुख्यालय, ग्रामीण विकास।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि